भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 अक्तूबर, 2025

संख्या लैज. 39/73.– दि रजिस्ट्रेशन (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1973 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 5 अक्तूबर, 2025 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

1973 का हरियाणा अधिनियम संख्या 36

रजिस्ट्रीकरण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1973
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908,
हरियाणा राज्यार्थ, को संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1973 कहा जा सकता है।

(2) यह नबम्बर 1966 के प्रथम दिन से लागू हुआ समझा जाएगा।

1908 के केन्द्रीय अधिनियम 16 में धारा 80क का रखा जाना।

2. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 80 के बाद, निम्नलिखित नई धारा रखी जाएगी, अर्थात्:–

''80क. संदेय फीसों की न्यून राशियां और उनकी वसूली.–(1) यदि, यथास्थिति, सम्पति का मूल्य या प्रतिफल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47क के अधीन बढ़ा दिया गया है, तो इस अधिनियम के अधीन दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस में इसके परिणामस्वरूप हुई वृद्धि, उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, सम्पत्ति के मूल्य या प्रतिफल का अवधारणादेश उसे संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।''।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12175—L.R.—H.G.P., Pkl.